न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/04/2026	2026/2	05.01.2026	20.04.2026

1. खिल्लूराम पुत्र हरिराम जाति जाटव निवासी ग्राम दादर तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. अमरीक सिंह पुत्र कर्मसिंह जाति मजहबी निवासी ग्राम भण्डवाडा तह0 व जिला अलवर।
2. कश्मीर सिंह पुत्र मांग सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम दादर तह0 मालाखेडा जिला अलवर।
3. जसवीर सिंह पुत्र मांग सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम दादर तह0 मालाखेडा जिला अलवर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.11.2025 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर (राज0)।

उपस्थितः—

1. श्री चन्द्रवीर सिंह —वकील अपीलाण्ट
2. श्री जनार्दन शर्मा —वकील रेस्पोडेण्ट सं. 2 व 3

—:: निर्णय ::—

वकील अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 26.11.2025 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट के विरूद्ध पेश की है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1240 रकबा 73 ऐयर वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेडा का गत खसरा नंबर 605/13 रकबा 3 बीघा था जो आराजी प्रार्थी अपीलांट के भाई श्री कमलेश पुत्र हरिराम की खरीदशुदा आराजी थी जो उसने मु० शरबती से जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 05.06.1995 को खरीद की थी। जिस पर वक्त खरीद से अपीलांट के भाई श्री कमलेश पुत्र हरिराम का कब्जा बतौर खातेदार के चला आ रहा था। प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपने भाई की हर प्रकार से टहल सेवा व देखभाल आदि की जाती थी, क्योंकि उसकी पत्नी श्री शंकुन्तला से उसकी अनबन चल रही थी और वो दोनों अलग—अलग निवास करते थे, जिस कारण प्रार्थी अपीलांट ही उसकी हर प्रकार से देखभाल आदि करता था। जिस कारण अपीलांट के भाई कमलेश ने अपीलांट की सेवाओं से प्रसन्न होकर विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 1240 रकबा 0.73 हैक्टेयर व अपने रिहायशी मकान स्थित ग्राम दादर तहसील मालाखेड़ा की बाबत दिनांक 08.01.2007 को एक वसीयतनामा तहरीर व तकमील कराकर अपने हस्ताक्षर कर दिए और गवाहों की गवाही भी करा दी गई, जिस वसीयतनामा में यह स्पष्ट तौर पर अंकित किया गया है कि मैं बीमार रहता हूं, मेरी पत्नी से अनबन रहती है तथा मेरी हर प्रकार से देखभाल आदि मेरा बड़ा भाई अर्थात् मिन अपीलांट ही करता है। जिस कारण उक्त वसीयत अपीलांट के हक में की गई है।

अपीलांट के भाई श्री कमलेश का दिनांक 14.06.2007 को स्वर्गवास हो गया तथा उसके स्वर्गवास होने के पश्चात् उक्त वसीयत प्रभाव में आ गई। उक्त कमलेश की पत्नी शंकुन्तला द्वारा यह जानते हुए कि कमलेश ने अपने जीवनकाल में मिन अपीलांट के हक में

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

वसीयत की हुई है उसके बावजूद भी उक्त श्रीमती शकुन्तला ने अपने पति के स्वर्गवास होने के पश्चात् उसका इन्तकाल विरासत फर्जकारी करते हुए अपने नाम पर दर्ज व तस्दीक करा लिया।

अपीलांट ने उक्त इंतकाल के खिलाफ एक अपील न्यायालय ए.सी.एन अलवर के यहां प्रस्तुत की जिस अपील संख्या 5/11 का निर्णय दिनांक 15.06.2015 को किया जाकर उक्त इन्तकाल को निरस्त किए जाने व तहसीलदार मालाखेड़ा को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किए जाने का आदेश सादिर फरमाया। इस प्रकार शकुन्तला द्वारा जो इंतकाल अपने नाम दर्ज व तस्दीक कराया गया था वह इंतकाल संख्या 832 निरस्त किया जा चुका है।

अधीनस्थ न्यायालय में महज इस आधार पर की उक्त इंतकाल के खिलाफ अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां विचाराधीन है, जो अपील तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 27.03.2023 जिसके जरिये वसीयत के आधार पर अपीलांट के नाम इंतकाल दर्ज किए जाने का आदेश दिया गया था, के खिलाफ पेश की गई है, किंतु उक्त अपील में कोई स्थगन आदेश जारी नहीं है और इस आधार पर मौजूदा प्रार्थना–पत्र खारिज नहीं किया जा सकता था। अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में अपना स्वयं का व जगदीश पुत्र हीरालाल बैरवा नि0 कल्याणपुरा, अमरूदी पुत्र काले खां, नत्थनराम पुत्र कुंदन निवासियान ग्राम दादर के शपथ–पत्र प्रस्तुत किए है जिन से अपीलांट की वसीयत का समर्थन होता है।

मौजूदा प्रकरण में साहब तहसीलदार मालाखेडा ने जो जांच रिपोर्ट तलब की है उस जांच रिपोर्ट दिनांक 13.06.2023 के अनुसार विवादित आराजी पर कश्मीर सिंह पुत्र मांगसिंह व जसबीर सिंह पुत्र मांगसिंह जाति रायसिंख का कब्जा होना साबित पाया जाता है। जो बतौर नाजायज कब्जा होना साबित पाया जाता है।

अपीलांट जाति से जाटव है। जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है, जबकि रेस्पोडेन्ट जाति से रायसिंख है तथा सुवर्ण जाति के व्यक्ति है, एवं कानूनन किसी भी अनुसूचित जाति की व्यक्ति की आराजी पर किसी भी सुवर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा बतौर नाजायज कब्जा माना जाता है और धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जिन लोगों का कब्जा अनुसूचित जाति के कृषि भूमि की आराजी पर होना पाया जाता है, वो काबिल बेदखली है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट को बेदखल ना करने का आदेश पारित ना करते हुए अपीलांट के प्रार्थना–पत्र को गलत तौर पर खारिज फरमाया है। इस स्टेज पर अधीनस्थ न्यायालय को केवल इस बिन्दू पर विचार किया जाना आवश्यक था कि विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा बतौर नाजायज कब्जा है या नहीं। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर कोई विचार नहीं किया केवल यह मानते हुए की इंतकाल के आदेश के खिलाफ अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां अपील विचाराधीन है, अपीलांट का प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने में कानूनी रूप से गलती की है। अपीलांट की अपील धारा 135 (2) स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया गया है कि वसीयतनामा दिनांक 08.01.2007 के आधार पर विवादित आराजी खसरा नंबर 1:240 रकबा 0.73 हैक्टेयर को वसीयत के अनुसार खल्लूराम पुत्र हरिराम जाटव निवासी ग्राम दादर के नाम दर्ज किया जावे। जो आदेश दिनांक 27.03. 2023 को पारित किया गया था और जिस आदेश की पालना में दिनांक 01.05.2023 को अपीलांट के नाम इंतकाल भी दर्ज व तस्दीक किया जाकर राजस्व अभिलेख में अपीलांट का नाम दर्ज किया जा चुका है। श्रीमती शकुन्तला द्वारा जो विक्रय पत्र अमरीक सिंह के हक में किया गया है वह विक्रय पत्र कानूनी तौर पर कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि उक्त विक्रय पत्र बिना किसी अधिकार के निष्पादन व पंजीयन किया गया है। जिस विक्रय पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.02.2025 के तहत अपीलांट के हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कथित विक्रय पत्र के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है, एवं चूंकि विवादित आराजी की बाबत राजस्व अभिलेख में अपीलांट का नाम बतौर खातेदार के दर्ज किया जा चुका है इसलिए कानूनन उक्त विक्रय पत्र कोई महत्व भी नहीं रहता है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेड़ा दिनांक 26.11.2025 निरस्त फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट को विवादित आराजी खसरा नंबर 1240 रकबा 73 ऐयर वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेड़ा से बेदखल किए जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे। वकील अपीलाण्ट द्वारा अपील के समर्थन में RRB 1996 PAGE 120, RRD 1996 PAGE 154 न्यायिक दृष्टात पेश किये।

वकील रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 जो कि अनूसूचित जाति की श्रेणी में आता है तथा रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी की खातेदार शकुन्तला पत्नी स्व० कमलेश जाटव निवासी ग्राम दादर तहसील मालाखेडा अलवर से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 08.01.2016 को खरीद की थी। इस प्रकार उक्त आराजी से अपीलाण्ट का कोई लेना देना नही है। उक्त बयनामा आज दिनांक तक प्रभाव में है। जो किसी भी न्यायालय वगैरा से निरस्त या शून्य करार नही दिया है। विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 1 की कब्जे काश्त खातेदारी की खरीदशुदा है बाद खरीद मिन रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपनी उपरोक्त खरीदशुदा आराजी को काश्त के लिए रेस्पो0 संख्या 2 व 3 को ठेके पर दी हुई है। रेस्पो0 अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है और कानून धारा 183 (बी) राज०काश्त०अधि० के तहत प्रार्थनापत्र सवर्ण जाति के सदस्य के विरूद्व ही दायर किया जा सकता है।

उपरोक्त आराजी की बाबत एक राजस्व वाद बअनुवानी खिल्लूराम बनाम शकुन्तला वगैरा अन्तर्गत धारा 135 (2) आर टी एक्ट के तहत विचाराधीन था जो श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2023 को निर्णय पारित किया गया था। जिस आदेश के विरूद्व अमरीक सिंह द्वारा माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष बअनुवानी अमरीक सिंह बनाम खिल्लू वगैरा विचाराधीन है जिसकी प्रति माननीय न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध है। जिस प्रकरण में दोनो पक्षकारान उपस्थित हो चुके है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील प्रथम दृष्टया चलने योग्य नही है। अतः निवेदन है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मय हर्जा और खर्चा खारिज फरमायी जावें।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब की गई हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 13.06.2023 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नंबर 1240 पर कश्मीर सिंह व जसवीर सिंह जाति रायसिख का भौतिक कब्जा पाया गया है। अपीलाण्ट हाल जमाबंदी संवत 2069–75 के खसरा नंबर 1240 रकबा 0.73 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चूंकि, अपीलाण्ट अनुसूचित जाति (जाटव) का सदस्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 (बी) के स्पष्ट प्रावधानानुसार, अनुसूचित जाति के खातेदार की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को अवैध या बिना विधिक अधिकार के कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का उक्त विवादित भूमि पर कोई विधिक अधिकार नहीं है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट ही वैध खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा ने मात्र इस आधार पर अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र 183बी खारिज कर दिया कि मा0 न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करते समय यह विचार करना आवश्यक था कि केवल अपील का लम्बित होना किसी पूर्व पारित आदेश की क्रियान्विति पर तब तक रोक नहीं लगाता, जब तक कि अपीलीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से कोई स्थगन आदेश पारित न किया गया हो। मौजूदा प्रस्तुत प्रकरण में भी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कोई भी स्थगन आदेश की सत्यप्रति प्रस्तुत नहीं की है। प्रश्नगत प्रकरण में वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRB 1996 PAGE 120 चस्पा होती है, जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि यदि पक्षकारों के मध्य किसी विवाद को लेकर कोई नियमित वाद पूर्व में विचाराधीन भी हो तो धारा 183–बी के प्रावधान लागू होंगे और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के विरूद्ध सरसरी जांच

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

करके उन्हें बेदखल किया जा सकेगा। अतः तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा धारा 183 (बी) के तहत उचित कार्रवाई न कर प्रार्थना–पत्र खारिज करना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 26.11.2025 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1240, रकबा 0.73 हेक्टेयर, स्थित ग्राम दादर, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर के संबंध में उभयपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
अलवर (राज०)